

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उत्तराखण्ड पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही लिखा जाए न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पत्र यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो उत्तराखण्ड एवं विज्ञान
अवश्य लिखा जाए लिखाए संविधान हो।



ग्राम : शूलीरसिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५२०८

दिनांक: १७/०८/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध ग्राहकपुरुष सरकार शिक्षा महाविद्यालय, लहार, शिष्ट को सत्र 2012-13 के मानवीय कुलपति महोदय/स्थाचारी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राजीव जैन, अध्यात्मा, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442766)
- (2) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. मुकेश कटारे, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के ग्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, गांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक रस्तें, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुग्रहीत/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/अडिनेक्स तथा प्रियते सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथ प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक रस्तों की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्रावार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देई के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, शोपाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बर्दी करता है तो समिति स्वयं निरस्त हो समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिनियम 27(10)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवाच्छ्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / ई.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रावार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सत्रपुड़ा भवन, शोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)